कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

संस्था स्तर की कांउसलिंग (CLC)

(College Level Counselling)

अभ्यर्थियों के लिये संस्था स्तर की कांउसलिंग हेतु निर्देश

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक/ इंजीनियरिंग संस्थानों में (द्वितीय पाली) में संचालित डिप्लोमा– इंजीनियरिंग (पीपीटी)/नॉन–पीपीटी/अम्बेडकर–एकलव्य योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु)

सत्र 2018–19

(केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये)

संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित होगी:–

1. काउंसलिंग वेबसाइट पर संस्था/ब्रान्च वार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
2. संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिये काउंसलिंग के लिये निर्धारित समय–सारणी अनुसार संस्था स्तर की काउसंलिंग आयोजित की जावेगी।
3. संबधित पाठ्यक्रमों की नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
4. डिप्लोमा– इंजीनियरिंग (पीपीटी)/नॉन–पीपीटी/अम्बेडकर–एकलव्य योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को पृथक–पृथक पंजीयन की कार्यवाही संपादित करनी होगी।
5. डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रथमतः पीपीटी–2018 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम की मेरिट के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
6. डिप्लोमा (नॉन पीपीटी) पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
7. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
8. **डिप्लोमा इंजीनियरिंग/ डिप्लोमा (नॉन पीपीटी) पाठ्यक्रमों पंजीयन शुल्कः–**
   - समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें पृथक से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय शुल्क रु 230/– (कांउसलिंग शुल्क रु 200/– एवं पोर्टल शुल्क रु 30/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन–रिफण्डेबल)।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन शुल्क रु 30/–(पोर्टल शुल्क) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
9. **डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पंजीयन शुल्कः–**
   - समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण

Scanned by CamScanner

नहीं की है अथवा जिन्होंनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन के समय पोर्टल शुल्क रू 30/– देय होगा. उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

10. अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापनः–

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन (e-verified) की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्ववर्ती चरण में दस्तावेजों का सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है। उनके द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि प्रवेश से पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करवायें।
- ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरान्त **दिनांक 20/08/2018 से 26/08/2018 तक, कार्यालयीन दिवस/समय में अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।**
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से नही हो सका है उन्हें निकटस्थ अधिकृत सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा।

काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यमः–

- ई–वालेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
- अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपलब्ध कियोस्क पर नगद भुगतान।
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

11. **इच्छित संस्था में प्रवेश के लिये उपस्थिति एवं संस्था में प्रवेश (Presence at desired Institute & admission in the Institute)**

- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति द्वारा जारी की गई समय–सारणी अनुसार, निर्धारित दिनांक को अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ इच्छुक संस्था में उपस्थित हो कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
- संस्था स्तर काउसलिंग की निर्धारित तिथि पर संस्था में उपस्थित केवल ऑनलाईन पंजीयन करा चुके अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट अनुसार संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

- ऑनलाइन प्रवेश के तुरंत बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उस प्रवेश पर्ची में संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हों।

- प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी स्टेटस को वेबसाइट पर उपलब्ध **चैक कैंडिडेट स्टेटस** की लिंक पर भी अवश्य मिलान कर लें।

- अभ्यर्थी मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत अनिवार्य रुप से वापिस प्राप्त करें।

- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण–पत्र संस्था में जमा न करें।

- संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टीसी) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।

- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया जाता है अथवा संस्था द्वारा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे।

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय–सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

- **काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइटः–**

  www.dte.mponline.gov.in अथवा www.dtempcounselling.org

- सम्पर्क फोन नं. 0755–4036802 एवं 0755–2660441

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner